

**भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।**

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री  
श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ जो जिला/मंडल \_\_\_\_\_ के  
गांव/कस्बा \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_  
के/की निवासी हैं और \_\_\_\_\_ समुदाय से संबद्ध हैं जिसे भारत सरकार,  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संकल्प सं. \_\_\_\_\_ के अंतर्गत  
अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_  
और/यां उनका परिवार सामान्यतया जिला/मंडल \_\_\_\_\_ के गांव/कस्बा  
\_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया  
जाता है कि वह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं.  
36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी  
लेयर से) संबंधित नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के  
दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.), दिनांक 9 मार्च, 2004 के  
का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) और दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं.  
36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-  
स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों से संबंधित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट  
उपायुक्त आदि

तारीख :

मुहर

\* प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा दे जिसमें  
उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

\*\* समय-समय पर संशोधित।

नोट : यहाँ “आमतौर से रहते/रहती हैं” का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950  
की धारा 20 में है।

**भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के  
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणापत्र का प्रारूप ।**

में ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी  
ग्राम/कस्बा/शहर ..... जिला ..... राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र ..... एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... समुदाय से संबद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एस.सी.टी.) में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के तौर पर मान्यता प्राप्त है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं समय-समय पर संशोधित किए गए दिनांक 08.09.1993 के ऊपर संदर्भित और दिनांक 9.3.2004 और दिनांक 14.10.2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा दिनांक 27 मई, 2013 के का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर -----

उम्मीदवार का नाम -----

अनुक्रमांक-----